आकृति ईको सिटी, दानिशकुंज-शाहपुरा में कल बिजली कटौती:भोपाल के 45 इलाकों में असर; बसंतकुंज, अशोका सोसायटी में भी सप्लाई नहीं

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। भोपाल के करीब 45 इलाकों में मंगलवार को 2 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई पर असर पड़ेगा। जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी, उनमें आकृति ईको सिटी, दानिशकुंज, शाहपुरा, बसंतकुंज, अशोका सोसायटी, 80 फीट रोड, गुंज नगर, सहारा कॉलोनी समेत कई बड़े इलाके भी शामिल हैं।

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. 3272/अ-6/26-27

इश्तहार

आवेदक संचित सोनी आ./पत्नी नरेशचन्द्र सोनी निवासी ग्राम बैरागढ चीचली द्वारा ग्राम स्थित खसरा नंबर 300/4 क्षेत्रफल 0.220 हे. पर विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 17/09/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 03/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. 3279/अ-6/26-27

इश्तहार

आवेदक अभय श्रीवास्तव आ./पत्नी आर पी श्रीवास्तव निवासी ग्राम बैरागढ चीचली द्वारा ग्राम स्थित खसरा नंबर 300/4 क्षेत्रफल 0.220 हे. पर विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 17/09/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 03/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, नन्हे यादव आ. श्री श्रीराम आयु वयस्क, निवासी-ग्राम मझगुवारहली सागर, म.प्र. है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश अंसिका यादव पुत्री श्री नन्हे (ANSIKA YADAV D/O NANHE) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम लक्ष्मी यादव पुत्री श्री नन्हे यादव (LAXMI YADAV D/O NANHE YADAV) है जो कि मेरी पुत्री के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम लक्ष्मी यादव पुत्री श्री नन्हे यादव (LAXMI YADAV D/O NANHE YADAV) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-अंसिका यादव पुत्री श्री नन्हे (ANSIKA YADAV D/O NANHE)
नया नाम-लक्ष्मी यादव पुत्री श्री नन्हे यादव (LAXMI YADAV D/O NANHE YADAV)

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, अनुज कुमार शर्मा आ. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा आयु वयस्क, निवासी-म.नं. 152, वार्ड नं. 12, तिवादिया, देवास, म.प्र. है। परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश अनुज शर्मा आ. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (ANUJ SHARMA S/O VISHNU PRASAD SHARMA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम अनुज कुमार शर्मा आ. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (ANUJ KUMAR SHARMA S/O VISHNU PRASAD SHARMA) है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा आ. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (ANUJ KUMAR SHARMA S/O VISHNU PRASAD SHARMA) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम-अनुज शर्मा आ. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (ANUJ SHARMA S/O VISHNU PRASAD SHARMA)
नया नाम-अनुज कुमार शर्मा आ. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा (ANUJ KUMAR SHARMA S/O VISHNU PRASAD SHARMA)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0077/अ-12/2026-27
दिनांक 05/08/2026
ग्राम इमलिया प.ह.न. 29

:: ईश्तहार ::

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक श्रीमती सुनैना मीना पत्नि सुनील मीना निवासी ग्राम इमलिया भोपाल म.प्र., ने म.प्र.भू-रा.संहिता की धारा 129 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम इमलिया प.ह.न.-29 स्थित भूमि खसरा कमांक 343/3/3/4/2/1 रकबा 0.0940 हे. भूमि का सीमांकन किये जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ खसरा, नक्शा नकल एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबंध मे किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 24/09/2026 नियत है।

उक्त उदघोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी टी नगर भोपाल

(रोड नं. 06 बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल)

प्र.क्र. 0270 /अ-6/2026-27

// इश्तहार //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती तनिष्का गोयल पत्नी श्री अक्षत गोयल निवासी 5 हेप्पी टावर ईदगाह हिल्स भोपाल द्वारा ग्राम खुदागंज स्थित भूमि खसरा नंबर 59/1/9, 60, 61 रकबा 0.186 हेक्टेयर अर्थात 0.46 एकड़ भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक /09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

न्यान्यायालय अपर तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त, भोपाल

प्रकरण क्रमांक -0539/अ-6/2026-27
दिनांकः 02/09/2026 ग्रामः- नयापुरा

// उद्घोषणा //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आरविंद जैन आ. श्री बदामी लाल जैन, निवासी :- सी-21. बी.डी.ए. कालोनी कोहेफिजा भोपाल म.प्र. द्वारा ग्राम नयापुरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 20/1, 26/1, 27/1, 28, 29, 30, 31-45/1, 32/1, 48, 56/1, 75, 78-79-83/1 पर स्थित भूमि का रकबा 86.83 वर्गमीटर भूमि का नक्शा (अक्श) बटान / नामांतरण/ बटवारा किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया है। प्रकरण न्यायालय मे प्रचलित है। जिसके संबध मे मौखिक रूप से सूचना दिया जाना संभव ना होने के कारण उद्घोषणा प्रकाशन किया जाता है।

उक्त सबंध मे किसी व्यक्ति / संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित समय अवधि पश्चात प्रकरण मे विधि अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी। आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 03/09/2026 को पेशी नियत है। उक्त उद्घोषणा दिनांक 02/09/2026 को न्यायालय अपर तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त द्वारा मेरे मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया हैं।

अपर तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त भोपाल

Name change notice

I hitherto known as HEERALAL, Son of LENDA, R/o 48, dabya, gram-bhimpura, sirali, VTC: Bhimpura, PO: Khirkiyan R.s., Sub District: Khirkiya, District: Harda, State: Madhya Pradesh, have changed my name and shall hereafter be known as BHORDIYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HEERALAL
[Signature (in existing old name)]

नाम परिवर्तन सूचना

राधेश्याम आत्मज श्री मोतीलाल आयु-वयस्क, निवासी- ग्राम बागसी जनपद पंचायत बैरसिया जिला भोपाल (म.प्र.) पिन कोड नं 462420, अंकित गौर (ANKIT GOUR) मेरा पुत्र है जिसका सही नाम अंकित गौर है जो कि उसकी समग्र आइ.डी में अंकित है जबकि त्रुटिवस उसके आधार कार्ड में उसका गलत नाम सत्यनाराण (SATYA NARAYAN) दर्ज है जो कि गलत है उसका सही नाम अंकित गौर (ANKIT GOUR) पुत्र राधेश्याम है।

अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अंकित गौर (ANKIT GOUR) पुत्र श्री राधेश्याम के नाम से जाना पहचाना, दर्ज किया जावे।

मेरे पुत्र का गलत नाम सत्यनाराण (SATYA NARAYAN)
मेरे पुत्र का सही नाम अंकित गौर (ANKIT GOUR)

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रं. 2892/अ-6/2026-27

इश्तहार

आवेदक पूर्णिमादास ओझा आ./पत्नि कमलेश कुमार ओझा निवासी एफ-110/28 (हाल में एफ-110/27) मचना कालोनी, शिवाजी नगर भोपाल द्वारा ग्राम सनखेड़ी स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 48/1/1/1/1 क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट पर विक्रयपत्र/ फौती/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/09/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. /अ-20 (1)/सन्-2026-27

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार **फौती के आधर पर** की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **25/09/2026** को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता/ माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
21	कंदेली	4/67	1485 वर्गफुट	प्रेमचंद आ. भगतराम सिंधी सा. स्टेशनगंज कंदेली	मोहनी आसरानी पत्नी भागचंद आसरानी निवासी सिंधी बस्ती कृष्णा वार्ड नरसिंहपुर

इश्तहार आज दिनांक 24/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
नरसिंहपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रं. 1981 /अ-6/2026-27

इश्तहार

आवेदक अंकिता अहिरवार आ./पत्नि हरीनारायण अहिरवार निवासी ग्राम बोरदा कोलार रोड द्वारा ग्राम स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 226, 220, 221 क्षेत्रफल 46.80 वर्गमीटर पर विक्रयपत्र/ फौती/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/09/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रं. 2072/अ-6/2026-27

इश्तहार

आवेदक सुधा मेश्राम आ./पत्नि स्व. मधुकर मेश्राम निवासी ग्राम दामखेडा द्वारा ग्राम स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 18/1/2 व अन्य क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट पर विक्रयपत्र/ फौती/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/09/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार तहसील कोलार भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 4371/अ-6/2026-27
दिनांक 30/07/2026
ग्राम पिपलिया बाज खां प.ह.नं. 26

:: ईश्तहार ::

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक पूजा देवी पत्नि भानु प्रताप निवासी-कृष्ण नगर, भोपाल, म.प्र. म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एमपी059892021ए1224441 दिनांक 04.03.2021 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 431/2/2/1 में से अंश भाग रकबा 55.78 व.मी. भूमि स्थित ग्राम पिपलिया बाज खां प.ह.न. 28 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रेता पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/सस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 24/09/2026 नियत हैं। उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण कमांक 4480/अ-6/2026-27
दिनांक 30/07/2026
ग्राम चोपडा कलां प.ह.न. 30

:: ईश्तहार ::

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक बबीता गुप्ता पत्नि संजय गुप्ता निवासी-करारिया फार्म, भोपाल, म.प्र. म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज कमांक एमपी0597120191473947 दिनांक 04.07.2019 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 225/1/2 में से अंश भाग रकबा 56.78 व0मी0 भूमि स्थित ग्राम चोपडा कलां प.ह.न. 30 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रेता पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/सस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 24/09/2026 नियत हैं। उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 4479/अ-6/2026-27
दिनांक 30/07/2026
ग्राम चोपड़ा कलां प.ह.न. 30

:: ईश्तहार ::

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक संजय कुमार गुप्ता पिता ललता प्रसाद गुप्ता निवासी - करारिया फार्म, भोपाल, म0प्र0 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज कमांक एमपी 059712019ए 1474024 दिनांक 04.07.2019 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 225/1/2 में से अंश भाग रकबा 103.25 व0मी0 भूमि स्थित ग्राम चोपडा कलां प.ह.न. 30 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रेता पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 24/09/2026 नियत हैं।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

सार्वजनिक उद्घोषणा

रा.मा.क्र. 281/अ-20 (1)/सन्-2026-27

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार **स्थायी पट्टा के नवीनीकरण** की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई हितबद्ध व्यक्ति दिनांक **25/09/2026** को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या स्वंय या अपने अधिवक्ता जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लाट क्र.	रकबा	विद्यमान अभिलेख में धारक/ धारकों के नाम /पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता	उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता/ माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचाराधीन है
22	कंदेली	3/3	293.5 वर्गफुट	राजकुमार हरियाणी आ. मोहनलाल हरियाणी निवासी गयादत्त वार्ड कंदेली	राजकुमार हरियाणी आ. मोहनलाल हरियाणी निवासी गयादत्त वार्ड कंदेली

इश्तहार आज दिनांक 03/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

नजूल अधिकारी
नरसिंहपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 4553/अ-6/2026-27
दिनांक 30/07/2026
ग्राम चोपडा कलां प.ह.न. 30

:: ईश्तहार ::

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक दीपक चौरसिया पिता रामस्वरूप निवासी - पुरुषोत्तम नगर, सेमरा कलां, भोपाल, म.प्र. म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज कमांक एमपी059712019ए 1474135 दिनांक 04.07.2019 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 225/1/2 में से अंश भाग रकबा 55.76 व.मी. भूमि स्थित ग्राम चोपडा कलां प.ह.न. 30 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रेता पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।

उक्त सबंध में किसी व्यक्ति / सस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 18/09/2026 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण कमांक 3966/अ-6/2026-27
दिनांक 10/07/2026
ग्राम मुगालिया कोट प.ह.न. 28

:: ईश्तहार ::

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक शफी मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद निवासी- अशोका गार्डन, भोपाल, म.प्र. म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 150/1/2/2 में से अंश भाग रकबा 1200 वर्गफीट भूमि स्थित ग्राम मुगालिया कोट प.ह.न. 28 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रेता पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 18/9/2026 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 4018/अ-6/2026-27
दिनांक 15/07/2026
ग्राम मुंगालिया कोट प.ह.न. 28

:: ईश्तहार ::

सर्वसाधरण विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक शफी मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद निवासी - अशोका गार्डन, भोपाल, म.प्र. म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 162/2 में से अंश भाग रकबा 92.93 वर्गमीटर भूमि स्थित ग्राम मुंगालिया कोट प0ह0न0 28 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रेता पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबंध मे किसी व्यक्ति / सस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 18/09/2026 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07/09/2026 को जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

मैं यशपाल सिंह जादौन पिता श्री जीवन सिंह जादौन आयु वयस्क, निवासी-ई- 3/5, सुमन गार्डन, क्षिप्रा विहार, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, उज्जैन म.प्र. 456010 मेरा नाम यशपाल सिंह जादौन (YASHPAL SINGH JADOUN) है। त्रुटिवश मेरी अंकसूचियों कक्षा-05वी, 08वी, 10वी, 12वी व कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम यशपाल सिंह दर्ज हो गया है। एवं मेरे पिता का नाम जीवन सिंह दर्ज है, एवं मेरी माता का नाम गोविंद कुमार दर्ज है। मेरा सही नाम यशपाल सिंह जादौन (YASHPAL SINGH JADOUN) पिता का नाम जीवन सिंह जादौन (JEEVAN SINGH JADOUN) जो कि मेरे आधार कार्ड व पेन कार्ड में दर्ज है, एवं मेरी माता का नाम गोविंद कुँवर (GOVIND KUNWAR) है, जो कि मेरी माता जी के आधार कार्ड में दर्ज है, जो कि सही व सत्य है। अतः भविष्य में मेरा सही नाम यशपाल सिंह जादौन (YASHPAL SINGH JADOUN) पिता का नाम जीवन सिंह जादौन (JEEVAN SINGH JADOUN) एवं मेरी माता का नाम गोविंद कुँवर (GOVIND KUNWAR) पढ़ा एवं लिखा जाये।

गलत नाम- यशपाल सिंह (YESHPAL SINGH) जीवन सिंह JEEVAN SINGH गोविंद कुमार (GOVIND KUMAR)
सही नाम- यशपाल सिंह जादौन (YASHPAL SINGH JADOUN) जीवन सिंह जादौन (JEEVAN SINGH JADOUN) गोविंद कुँवर (GOVIND KUNWAR)

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 1291/अ-6/2026-2027
मौजा- जमोनिया छीर तहसील हुजूर, भोपाल

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 01 धर्म प्रकाश पुरसवानी आत्मज श्री भगवान दास एंव श्रीमती नीतू पुरसवानी पत्नी श्री धर्म प्रकाश निवासीगण बी 9/14 ए सेक्टर नव युवक सभा विद्यालय के पास बैरागढ़ भोपाल म.प्र., ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एमपी059692022ए 1167887 दिनांक 17.02.2022 के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 171/3/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा में से 1080 वर्गफिट भूमि ग्राम जमोनिया छीर प.ह.न. 53 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों की नकल प्रस्तुत की गई है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

दिनांक उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज को जारी किया गया ।

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण 0392/अ-27/2025-2026
मौजा - कोड़िया प.ह.न.
तहसील हुजूर भोपाल

::: इश्तहार :::

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। आवेदिका श्रीमती फूलवती पत्नी रघुवीर गौर व अन्य निवासी ग्राम कोड़िया तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कोडिया प.ह.न. भूमि खसरा क्रमांक 48 कुल रकबा मे से 0.2200 हे0 खसरा 49 कुल रकबा मे से 0.4500 हे. खसरा 71 एस रकबा 0.6700 हे0 शूमि का आवेदक एवं अन्य हितबद्ध भूधारकों के मध्य बंटवारा हेतु निवेदन किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की नकल एव